न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 14/2022 बउनवानी फटोलीराम बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी निवासी फूलवाडा पिपेट, तहसील वजीरपुर

GCMS No-2022/14 **On line Appeal No- 321256840783764**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

08.02.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.9.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

"अपीलान्ट द्वारा कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर में क्रमांक/भनिब्यू /परि/2021/9090–91 दिनांक 27.7.2021 की जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्राप्त लेटर पर की गयी उचित कार्यवाही के संबंध मे निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध करावे। "

1- परिवाद संख्या एच 1907/2021 दिनांक 14.7.2021 के आधार पर एसीबी ने जॉच कर रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर महोदय के भेजी इस परिवाद पर क्या कार्यवाही की गयी रिपोर्ट की सत्यापित प्रति देवे।
2- इस शिकायत की अनियमितताओ की जॉच करने के लिये बनायी गयी टीम के अधिकारियो के नाम व पोस्ट की जानकारी देवे।
3- जॉच के लिये ग्राम सभा का आयोजन किया था या नही ? यदि किया गया तो दौराने जॉच परिवादी व ग्रामीणों से लिये गये बयानो की प्रतिलिपि देवे।
4- यदि ग्राम सभा आयोजित नही की गयी व परिवादी व ग्रामीणो से बयान नही लिये गये तो इसका आधार बताए क्यो नही लिये गये इसका आधार बतावे।
5- यदि जॉच टीम गठित नही की गयी तो इसका आधार बतावे क्यो गठित नही की गयी।
6- क्या अभी जॉच कार्यवाही चल रही है या कम्पलीट हो चुकी है इसकी जानकारी देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः आरटीआई/अपील/2022/218 दिनांक 8.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 24.9.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 पर चाही गयी सूचना के लिए अपीलान्ट को शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक 13.1.2022 से लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक शुल्क जमा नही करवाया है। अपीलान्ट को पुनः लिखा गया है कि जॉच के संबंध में जो भी सूचना चाहते हो उसको व्यक्तिगत रूप से पत्रावली का अवलोकन करके सूचनाऐ चिहिन्त करे। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.9.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना यद्यपि प्रश्नात्मक है किन्तु [illegible] सूचना सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित स[illegible] है जहाँ तक शुल्क जमा करवाने हेतु लिखने का प्रश्न है तो लगभग 4 माह बाद शुल्क जमा कर[illegible] हेतु लिखने का कोई औचित्य नही है इसके अतिरिक्त यह भी नही बताया गया कि [illegible] अपीलान्ट को ज[illegible]यी जानी है। उक्त तथ्यो को मध्यनजर रखते [illegible]कार की जाकर अति[illegible] जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.15 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर